

कार्यालय आदेश

पेराई वर्ष 2025-26 के लिए मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि०, सुगौली, पूर्वी चम्पारण से पथ क्रय केन्द्र आवंटन से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर चीनी मिल के प्रतिनिधि एवं उस क्षेत्र से संबंधित ईख पदाधिकारी/विभागीय पदाधिकारियों के समक्ष दिनांक-07.11.2025 को सुनवाई की गई।

बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा-29 के अंतर्गत पथ केन्द्रों की स्वीकृति से संबंधित मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि०, सुगौली, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने परम्परागत एवं अपराम्परागत आरक्षित क्षेत्र में मिल गेट सहित कुल 18 क्रय केन्द्रों की स्वीकृति का प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

प्रस्तावित क्रय केन्द्रों की समीक्षा की गयी। इस विषय पर स्थानीय ईख पदाधिकारी के मंतव्य को भी देखा गया। गत पेराई वर्ष में इस मिल द्वारा कुल 18 क्रय केन्द्र स्थापित कर उन क्रय केन्द्रों पर गन्ने खरीद की गई थी। किसानों/किसान संगठनों/चीनी मिलों से परिवाद/सुझाव की मांग की गयी।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में स्थानीय ईख पदाधिकारी के मन्तव्य एवं गन्ना किसानों की सुविधा के दृष्टिगत, ईख अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पेराई वर्ष 2025-26 के लिए मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि०, सुगौली, पूर्वी चम्पारण को गन्ना उठाव हेतु संलग्न सूची के पथ क्रय केन्द्रों पर अंकित मात्रा में गन्ना खरीद की स्वीकृति दी जाती है।

2. इस मिल के आरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत अतिरिक्त क्रय केन्द्रों की स्थापना से संबंधित किसानों से मांग प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा कर अलग से अतिरिक्त क्रय केन्द्र आवंटित किये जा सकेंगे।
3. आवंटित सभी पथ क्रय केन्द्रों का परिचालन चीनी मिल चलने के साथ ही आरम्भ किया जाए। बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा-26 एवं 27 के साथ बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली, 1978 की धारा-22,23,24,27 एवं 30 तथा विभाग द्वारा निर्गत सर्वेक्षण नीति एवं सट्टा नीति के प्रावधानों का शत प्रतिशत अनुपालन किया जाय। अनुपालन नहीं करने की स्थिति में ईख अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
4. संबंधित ईख पदाधिकारी द्वारा नये पथ क्रय केन्द्र के स्थल चयन के उपरान्त ही मिलों द्वारा नये क्रय केन्द्र की स्थापना की जायेगी। ईख पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थापित होने वाले किसी भी नये पथ क्रय केन्द्र की दूसरे मिल के आरक्षित क्षेत्र के परिधि से पाँच कि०मी० की रैखिक दूरी पर अवस्थित हो। साथ ही ईख पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत नये पथ क्रय केन्द्र की दूरी पूर्व से स्वीकृत होते आ रहे क्रय केन्द्र से 4 कि०मी० से 5 कि०मी० की दूरी पर लगे। स्थल चयन करते हुए एतद् संबंधित उनके द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा एवं उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करवायी जायेगी। यथासंभव सार्वजनिक अथवा गैर विवादित स्थल पर क्रय केन्द्र स्थापित करेंगे। स्थल चयन के क्रम में स्थानीय ईख पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रय केन्द्र की स्थापना स्वीकृत राजस्व थाना के क्षेत्रान्तर्गत ही स्थापित हो। संबंधित ईख पदाधिकारी दैनिक ईख खरीद की मात्रा का भी निर्धारण करेंगे एवं उसके आधार पर ईख पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करायेंगे कि चीनी मिलों के माध्यम से उनके आरक्षित क्षेत्र में कराये गये ईख अच्छादन के सर्वेक्षण के आधार पर सट्टा नीति में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप समानुपातिक रूप में पर्ची वितरण हेतु कैलेण्डर तैयार करते हुए उसके अनुरूप पर्चियों के वितरण का कार्य सम्पन्न हो। पर्चियों के आवंटन/वितरण में किसी भी प्रकार के विचौलियों का समावेश नहीं हो। मिलों द्वारा अपने कर्मचारियों के माध्यम से किसानों को समय पर पर्ची (requisition slip) उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाए तथा उनसे पावती को संधारित रखा जाए। किसानों को उनके Mobile Number पर SMS के माध्यम से भी पर्चियों के निर्गमन की सूचना निश्चित रूप से दी जाए।
5. गन्ने के तौल हेतु मात्र लोड सेल युक्त कम्प्यूटराइज्ड तौल सेतु का उपयोग किया जाए। किसानों के गन्ने के तौल के पश्चात् ग्राँस वजन का उसी समय टोकन/पर्ची हस्तगत करवा दी जाए। गन्ने आपूर्ति के पश्चात् टेयर कर किसानों को पूर्ण विवरण के साथ कम्प्यूटराइज्ड रसीद उपलब्ध करवाया जाए। तौल की सत्यता की जाँच हेतु मिल गेट पर एक मैनुअल तौल सेतु का भी संधारण किया जाए।
6. किसी भी स्थिति में आरक्षित/आवंटित/मुक्त क्षेत्र के ग्रामों से ट्रकों के माध्यम से विचौलियों द्वारा आपूरित खेतानी गन्ना क्रय नहीं किया जाए। यदि निरीक्षण के क्रम में यह पाया जाता है कि चीनी मिलों द्वारा विचौलियों के माध्यम से खेतानी गन्ना क्रय किया जा रहा है तो उस मिल के प्रबंधन के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

7. पेराई अवधि में ऐसे दृष्टांत भी आये हैं कि चीनी मिल के प्रबन्धन द्वारा क्रय केन्द्रों पर गन्ने का तौल न कर संबंधित क्रय केन्द्र के नाम पर मिल गेट पर डिस्पैच/diversion के रूप में गन्ने की आपूर्ति प्राप्त की जाती है तथा किसान को क्रय केन्द्र का ही दर मुहैया कराया जाता है। यह व्यवस्था नियमानुकूल नहीं है एवं गलत तथा अवैध परम्परा का द्योतक है। चीनी मिलें इस प्रकार की व्यवस्था से शत-प्रतिशत परहेज रखें अन्यथा इस प्रकार अवैध कार्य पाये जाने पर प्रबंधन के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
8. चीनी मिलें क्रय केन्द्रों पर मात्र अपने आरक्षित क्षेत्र में उपलब्ध गन्ने का ही खरीद करेगी। किसी भी समय यदि यह पाया गया कि क्रय केन्द्रों पर दूसरे मिल क्षेत्र के गन्ने की खरीद की जा रही है तो वैसे स्थिति में उस क्रय केन्द्र के परिचालन को बंद करते हुए स्थानीय किसानों के गन्ने की खपत की वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी।
9. गन्ना कृषकों से खरीदे गये ईख के मूल्य का चीनी मिलों द्वारा संबंधित किसान के बैंक खाता में मात्र RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। नगद/Bearer Cheque के माध्यम से किसी भी परिस्थिति में ईख मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा नहीं किया जायेगा।
10. गन्ना आपूर्ति करने वाले कृषकों से बिना बैंक खाता का (साक्ष्य सहित) विवरण प्राप्त किये गन्ने की खरीद नहीं की जायेगी।
11. गन्ने के खरीद-बिक्री में बिचौलियों की संलिप्ता की अनेक शिकायत विभाग को समय-समय पर प्राप्त हो रहे हैं। उपरोक्त आलोक में निदेश है कि जिस ग्राम में क्रय केन्द्र स्थापित किया जायेगा उस ग्राम का कोई भी व्यक्ति या उसके संबंधी के माध्यम से संबंधित चीनी मिल द्वारा क्रय केन्द्र से मिल गेट तक गन्ने की ढुलाई हेतु ट्रान्सपोर्टर का कार्य करने के लिए एकरारनामा हस्ताक्षरित नहीं किया जायेगा तथा उनसे गन्ने की ढुलाई का कार्य नहीं लिया जायेगा।
12. लोडिंग एवं अनलोडिंग के नाम पर क्रय केन्द्रों पर ईख आपूर्ति करने वाले किसानों से कोई भी राशि की वसूली नहीं की जाए।
13. चीनी मिल द्वारा आवंटित होने वाले सभी पथ क्रय केन्द्रों का परिचालन संबंधित चीनी मिल के स्थायी/सीजनल कर्मियों द्वारा किया जायेगा। संबंधित कर्मी चीनी मिल के महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा निर्गत पहचान-पत्र हमेशा अपने पास रखना सुनिश्चित करेंगे।
14. चीनी मिल क्रय केन्द्र के परिचालन के पूर्व क्रय केन्द्रों पर पदस्थापित किये जाने वाले अपने मिल कर्मियों की सूची नाम, मोबाईल नम्बर इत्यादि के साथ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। चीनी मिल द्वारा ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि तौल लिपिकों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाक्षिक रूप से हो, जिसकी सूचना संबंधित ईख पदाधिकारी तथा विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित ईख पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये तथा इसका उल्लंघन करने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु-2-800-20/2020- 2047/ई०भा /पटना, दिनांक 12 नवम्बर, 2025
प्रतिलिपि- महाप्रबंधक, एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि०, सुगौली, पूर्वी चम्पारण/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/ईख पदाधिकारी, मोतिहारी/ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल, बेतिया/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

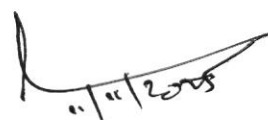
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु-2-800-20/2020- 2047/ई०भा /पटना, दिनांक 12 नवम्बर, 2025
प्रतिलिपि-आई. टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सभी संबंधित को कार्यालय आदेश की प्रति को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

पेराई वर्ष 2025-26 के लिए एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि., सुगौली, पूर्वी चम्पारण को
आवंटित पथ क्रय केन्द्रों की सूची

जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	क्रम संख्या	प्रस्तावित क्रय केन्द्र का नाम	राजस्व थाना नं.	आवंटित गन्ने की मात्रा (लाख क्वी. में)
पूर्वी चम्पारण	सुगौली	01.	मिल गेट	38	33.36
	हरसिद्धि	02.	घिवाढ़ार	111	0.65
	पहाड़पुर	03.	बलुआ	119	0.32
	हरसिद्धि	04.	मटियरिया	138	0.31
	हरसिद्धि	05.	गायघाट	153	1.22
	हरसिद्धि	06.	मानिकपुर	149	0.64
	हरसिद्धि	07.	सेवराहाँ	108	0.40
	हरसिद्धि	08.	भादा	166	0.66
	हरसिद्धि	09.	रानी छपरा	161	0.68
	रामगढ़वा	10.	रामगढ़वा	66	0.49
	मोतिहारी	11.	भेड़िहरवा	146	0.87
	मोतिहारी	12.	हरकैना	126	0.36
	मोतिहारी	13.	कुशहर	95	0.58
	तुरकौलिया	14.	सपही	79	0.81
	तुरकौलिया	15.	शंकर सरैया	99	0.69
	आदापुर	16.	कनगेनवा	83	0.94
	बंजरिया	17.	अजगरी	112	0.60
	रमगढ़वा	18.	बेलवा पिपरपाती	58	1.01
					44.60


ईखायुक्त
बिहार, पटना।